ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर

पूर्ण सुरक्षित आवासीय महिला विश्वविद्यालय

जानकी

(आशा की किरण)

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000)

जब महिला में शक्ति होगी,
तभी राष्ट्र की उन्नति होगी।

लड़की की मर्जी के बिना खींचा गया फोटो इंटरनेट पर सार्वजनिक करना

आईपीसी अनुभाग सीखें 354सी

आजकल हर हाथ में मोबाइल है और हर मोबाइल में कैमरा। कोई कहीं भी, किसी का भी फोटो खींच लेता है लेकिन क्या आप जानते हैं किसी लड़की अथवा महिला का उसकी अनुमति के बिना फोटो खींचना गंभीर अपराध है। यह और अधिक गंभीर हो जाता है जब आप उस फोटो को इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह बिना अनुमति के फोटो खींचने वाले बदमाशों को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत मामला दर्ज करवा कर जेल भेजा जा सकता है।

Address : **Vedant Gyan Valley, Vill. Jharna, Mahla-Jobner Link Road, Jaipur-Ajmer Express Way, NH-8, Jaipur - 303122 (Raj.) INDIA**

महिलाओं के अधिकार एवं अधिनियम

जेवीएन वेदान्त गर्ग
सलाहकार एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
जेवीएन डॉ. संजय छाबड़ा, डीन लॉ एण्ड गोवरनेन्स
जेवीएन डॉ. बिना दिवान, संचालक, लॉ एण्ड गोवरनेन्स
डिजाइन एण्ड एडिटोरियल,
जेवीएन हर्षल भास्कर काले जेवीएन विक्रम सिंह
जेवीएन ओमप्रकाश कुमावत
स्टूडेन्ट कोर्डिनेटर, (बी ए एलएलबी 3सेम)
जेवीएन जारा खान जेवीएन अल्फा वरून जेवीएन नेहा
जेवीएन शालू टेलर जेवीएन प्रीयान्सी गर्ग

जानकी की शहर से वापसी.............
मुख्य पात्र– जानकी
गाँवो की औरते – सुनीता, मीना
गाँव के लड़के– राजू, रवि

लड़की की मर्जी के बिना खींचा गया फोटो इंटरनेट पर सार्वजनिक करना किस धारा के तहत अपराध है

इंटरनेट पर किसी भी प्रकार के अपराध की रोकथाम के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (प्दवितउंजपवद ज्मबीदवसवहल ।बज 2000) इंटरनेट पर होने वाले सभी प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए काम करता है। किसी लड़की अथवा महिला का उसकी अनुमति के बिना फोटो खींचकर किसी भी प्रकार के मैसेजिंग एप, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाली पब्लिक अथवा प्राइवेट वेबसाइट या किसी भी पब्लिक अथवा प्राइवेट ग्रुप में अपलोड अथवा शेयर किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66(e) 66ठ,66ड़,66क के तहत मामला दर्ज किया जाता है। थ्प्त में आईपीसी की धारा 354ब के साथ आईटी एक्ट की धारा 66ठ,66ड़,66क तहत मामला दर्ज किया जाता है।

जानकी (एक आशा की किरण)

अरे! जानकी बेटा ये तू शहर से क्या सीख कर आई तैरा ये रहन–सहन गाँव के हिसाब से ठीक नहीं ये तेरे और तेरे परिवार दोनों के लिए नूकसान दायक है। इसी रहन सहन से हमारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ रही है कुछ पता भी है तुझे।

अरे चाची जी! आप सब ये क्या बात कर रहे हों। आपको कुछ पता भी है जमाना कहाँ से कहाँ चला गया जमाने के साथ हर इंसान को बदलाना पड़ता है। चलो ठीक चाची जी जमाने की बात तो मैं आप को बाद में भी बता सकती हूँ ! अभी मुझे बाजार जाना है। घर का सामान लेने के लिए!

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 354 ग की परिभाषारू–

अगर कोई किसी महिला की बिना उसकी मर्जी तश्वीर लेगा जैसे स्नान करते समय फोटो लेना या वीडियो बनाना।किसी भी प्रकार के होटल, शौचालय आदि में छुपे हुए कैमरे (हिडन कैमरा) लगाकर महिला की प्राइवेट फोटो लेना वीडियो बनाना, उस फोटो, वीडियो को शेयर करने की धमकी देना, शेयर करना आदि।पति, दोस्त, नातेदार आदि द्वारा फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर बिना उसकी मर्जी के किसी भी प्रकार से शेयर करना। बिना महिला की इज्जत के उसकी आपतिनक फोटो या किसी भी प्रकार की वीडियो बनाना ।उपर्युक्त कृत्य धारा 354 ग के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

और किसी शादी पार्टी, सार्वजनिक कार्यक्रम ,मीडिया कवरेज, आदि के अवसर पर यदि किसी फोटोध वीडियो में महिला की तस्वीर भी नजर आ जाती है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा।

जानकी (एक आशा की किरण)

अरे! राजू, रवि ये तुम क्या कर रहे हो मुझे मालूम पड़ा तुम लोगो ने मेरी तस्वीरें पूरे गाँव में फैलाई है। किसी भी लड़की की तस्वीरें उससे बिना पूछे खीचंना या उनका उपयोग करकें फैलाना एक बहुत बड़ा गुनाह है।

अरे जा जा।
तू अपना ज्ञान अपने पास रख। तेरा ये कानून यहाँ नहीं चलेगा

ठीक है तो अब तुम्हें पुलिस ही देखेगी और वही तुम्हें कानून

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 ग के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है। इस अपराध के दण्ड को दो भागों में बांटा गया हैरू–
प्रथम बार अगर कोई व्यक्ति इस अपराध को करता है तो यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होगा। इसकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास होगी। सजा– इस अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम 3 वर्ष का कारावास तथा 100000 जुर्माना हो सकता है। अगर यही अपराध, अपराधी दूसरी बार भी करता है, यह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होगा, इनकी सुनवाई का अधिकार किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को होता है। सजा– इस अपराध के लिए कम से कम तीन वर्ष एवं अधिकतम सात वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना हो सकता है।
धारा 66बी, 66सी, 66डी (सूचना अधिनियम 200) के अनुसार जो भी व्यक्ति (साइबर क्राइम) जैसा अपराध करता है उस व्यक्ति को 1,00,000 का जुर्माना, 3 साल का कारावास दिया जाता है।
योगेश कु. शर्मा बनाम झारखण्ड सरकार (23 मार्च, 2021)